Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

करणाराम पुत्र गणपतराम जाति बिश्नोई निवासी 24 एमडी (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजकुमार पुत्र पूनम चन्द जाति मोची निवासी वार्ड न. 24 अनूपगढ़ एवं तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

किस्म मुकदमाः—अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.— 22 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
02.06.2023	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। सर्वप्रथम वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 24.03.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 (बी) पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की है तथा पटवारी हल्का ने अपनी दैनिक डायरी 09.03.2018 से उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में कृषि भूमि वाके चक 24 एमडी—ए मुरब्बा न. 223 / 50 का किला न. 1, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 का 1.494 है0 रकबा में से किला न. 19 व 20 आंशिक रूप से बनी ढाणी को छोड़ते हुए शेष कृषि भूमि से उक्त मौका काश्तकार करणाराम को बेदखल करते हुए कृषि भूमि का कब्जा रेस्पोडेंट राजकुमार को सौंपा जाने का उल्लेख किया है जबकि उक्त रकबा पर अमरचन्द व ओमप्रकाश पुत्रगण सोहनलाल जाति बिश्नोई काश्त कर रहे है क्योंकि उक्त रकबा उनके पिता को बतौर कस्टोडियन आलॅाट हुई थी। अतः प्रकरण के निस्तारण हेतु मौका के कब्जा काश्त के संबंध में तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त कर रिपोर्ट ली जावे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत प्रकरण लगभग 5 वर्षो से जैरकार है। प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण अन्तिम बहस पर है जिसमें अब किसी तरह का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य सिद्व नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में के बिन्दु संख्या 1 में अंकित किया है कि मौका पर वास्तविक कब्जा अमरचन्द व ओमप्रकाश का है तथा बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया है कि मौका पर अमरचन्द तथा ओमप्रकाश का काश्तकार होने की हैसियत से अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ही विवादास्पद है। हस्तगत प्रकरण लगभग 5 वर्षो से जैरकार है तथा अब अन्तिम बहस पर है। ऐसी स्थिति मे हम साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मौका कमीशनर की नियुक्ति करना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण में गुणावगुण पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील भूमि के संबंध मे मुखराम पुत्र छोगाराम ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 1 / 2012 अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10. 2012 को खारिज कर दिया गय। उक्त निर्णय के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ में अपील पेश की गई जिसमें राजकुमार द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जो न्यायालय [illegible] ज कर दिया गया। अपीलांट की उक्त अपील भी दिनांक 13.12.20[illegible] को [illegible] ज कर दी गई। तत्पश्चात राजकुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्र[illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत [illegible] न. 3 के साथ जैर अपील रकबा के संबंध में पूर्व मे जारी निर्णय व उक्त प्रकरणो मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2014 व भू.अ.निरीक्षक की [illegible] ट दिनांक 20.03.2014	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:17:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पेश कर निवेदन किया कि उक्त रकबा प्रार्थी राजकुमार द्वारा जरिये बेयनामा कय किया गया है। अतः मौके पर काबिज करणाराम को बेदखल किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय में अंकन किया है कि पूर्व में तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ ने अपने पूर्व निर्णय में मुखराम को भूमि आवंटित होना व खातेदारी प्राप्त होना आदि बारे में विचार नहीं किया। उक्त वाक्य से सिद्व होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्वयं के पूर्व आदेश का ही पुर्नविलोकन कर लिया जिसका अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त पूर्व निर्णय के विरूद्व अपील भी खारिज हो चुकी है। जैर अपील रकबा अमर चन्द, ओम प्रकाश के पिता सोहन लाल को क्लेम अलॉटी के तौर पर मैनेजिंग ऑफिसर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 24.06.1963 को खसरा नम्बर 223/50 (4) की 1.494 है0 आवंटित की गई थी, जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2012 से सिद्व है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से दौहरा आवंटन मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील आदेश पारित करने से पहले पूर्व आदेश से संबंधित पत्रावली तलब नही की। और जहां तक राजकुमार के कब्जा काश्त की बात है, चूंकि जब मुखराम का ही कब्जा नहीं था तो जरिये बैयनामा राजकुमार को कब्जा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि विधिवत रूप से मुखराम पुत्र छोगाराम को आवंटित की गई थी, और बाद जांच एवं कार्यवाही पूर्ण कर नियमानुसार ही उसको खातेदारी दी गई थी। खातेदार द्वारा उक्त भूमि बजरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 08.07.2013 द्वारा मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 को हस्तांतरित कर दी गई। पटवारी हल्का 21 एमडी की दैनिक डायरी दिनांक 09.03.2018 अनुसार भी उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में मुखराम पुत्र छोगाराम के नाम खातेदार दर्ज था। उक्त दैनिक डायरी की नकल पत्रावली में उपलबध है। दैनिक डायरी दस्तावेजी साक्ष्य है। दैनिक डायरी अनुसार मौका पर रेस्पोड़ेट को कब्जा दे दिया गया है। अपीलांट ने आज तक ना तो मुखराम के आवंटन के विरूद्व कोई अपील की है, तथा ना ही पंजीकृत बैयनामा को निरस्त करवाया है ऐसी स्थिति में आवंटी का आवंटन एवं उसके द्वारा किया गया हस्तांरण पूर्ण रूप से प्रभावी मानते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जैर अपील भूमि का आवंटन अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हुआ था तथा बेचान भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हुआ है। अपीलांट जो कि एक स्वर्ण जाति का व्यक्ति है, ने जैर अपील भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया जिसे बेदखल करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो को नियमानुसार ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही बेचान किया गया है। स्वर्ण जाति के व्यक्ति ने उक्त रकबा पर कब्जा कर रखा था। जैर अपील आदेश नियमानुकुल ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183–बी के तहत कार्यवाही की है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा की 183 बी (2) अनुसार " The inquiry on an application under sub- section (1) shall be made in summary manner (and shall concluded as far as practicable with in the prescribed period and and after) affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser. अर्थात उक्त धारा के तहत तहसीलदार द्वारा जांच की जावेगी। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थी राजकुमार द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा धारा 183 बी के तहत जांच हेतु प्रकरण दर्ज किया गया। न्यायिक दृष्टांत Raj. 2004 RRD page 770, Bhiv Singh Vs. LRS of Inder RRT 2004 (1) page 636 Ram Charan Vs. Babulal यह उल्लेखित है कि If no evidanceis produced before tehsildar about the long possession, he should evict the trespasser.

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:17:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से पाया कि उक्त पत्रावली मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य/सबूत हेतु समुचित अवसर देने पर भी करणाराम के वकील द्वारा साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्वयं के पूर्व आदेश का ही पुर्नविलोकन करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर जिसका अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है तथा हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी के तहत पूर्व न्याय (रेस्ज्यूडिकेटा) से बाधित था। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही रेस्ज्यूडिकेटा का प्रार्थना पत्र आपत्ति के तौर पर पेश करना चाहिए था, अब न्यायालय में रेस्ज्यूडिकेटा का बिन्दु रखना औचित्यहीन है। अपीलांट के कथन है कि उक्त रकबा सोहनलाल को बतौर कस्टोडियन आवंटी जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आवंटित की गई। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा कब्जा नहीं दिये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच में रिट याचिका पेश की गई जिसमें दिनांक 24.02.1984 को निर्णय किया जाकर जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश बहाल रखा जाकर इसकी पालना में तहसीलदार को कब्जा देने के आदेश दिये गये तथा सोहनलाल को जैर अपील भूमि का कब्जा प्राप्त हुआ। अपीलांट ने उक्त भूमि का कब्जा लेने संबंधित दस्तावेजात ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये तथा ना ही इस न्यायालय में, जिससे यह साबित हो कि अपीलांट जैर अपील रकबा पर आवंटी के विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से काबिज है। अपीलांट द्वारा जैर रकबा पर अपना स्वामित्व (Title) संबंधित दस्तावेजता भी पेश नहीं किये गये है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा प्रकरण में नियमानुसार ही समस्त कार्यवाही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:17:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner